

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 346/2024

अनवान : -

1. मनीष कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. रोशनी पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. किताबो देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. उर्मिला पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. ममता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. रिना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गणेशाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
7. मनोहरी पुत्री इन्द्रजीत उर्फ जीतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
8. दर्शना देवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
9. गुड्डी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
10. बन्तो देवी पुत्री भगवानानाम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 24/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 65/65 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 6.1990 है0 भूमि में से 15509/61990 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 की दादी मृतका बाधो देवी पत्नी भगवानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्यक के 148/6199 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 की दादी व वादी संख्या 2 ता 3 की सास बाधो देवी पत्नी भगवानाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस रामस्वरूप (पुत्र), राजेन्द्र (पुत्र), इन्द्रजीत (पुत्र), बन्तो देवी (पुत्री), दर्शना देवी (पुत्री) व गुड्डी देवी (पुत्री) हुए जिनमें से रामस्वरूप, राजेन्द्र व इन्द्रजीत का स्वर्गवास हो चुका है मृतक रामस्वरूप पुत्र भगवानाम के

वारिस वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 6 है तथा मृतक राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम के वारिस वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है एवं मृतक इन्द्रजीत के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 व मृतक पुत्र राकेश कुमार है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 जो वादी संख्या 1 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 व 8 ता 10 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 65/65 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 6.1990 है। भूमि में से मृतका बाधो देवी पत्नी भगवानाराम की 15509/61990 हिस्सा में वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक के नाम दर्ज 148/6199 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 व 8 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण बाधोदेवी, रामस्वरूप राजेन्द्र व इन्द्रजीत, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड

वादी संख्या 1 की दादी मृतका बाधो देवी पत्नी भगवानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 प्रत्यक के 148/6199 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 की दादी व वादी संख्या 2 ता 3 की सास बाधो देवी पत्नी भगवानाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस रामस्वरूप (पुत्र), राजेन्द्र (पुत्र), इन्द्रजीत (पुत्र), बन्तो देवी (पुत्री), दर्शना देवी (पुत्री) व गुड्डी देवी (पुत्री) हुए जिनमें से रामस्वरूप, राजेन्द्र व इन्द्रजीत का स्वर्गवास हो चुका है मृतक रामस्वरूप पुत्र भगवानाम के वारिस वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 6 है तथा मृतक राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम के वारिस वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है एवं मृतक इन्द्रजीत के वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 व मृतक पुत्र राकेश कुमार है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 व 8 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनों को सही मानते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है० भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है० भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि मृतक रामकरण पुत्र बीरू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम दर्ज है। वादी के पिता रामकरण पुत्र बीरू का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी के एक भाई गोपीराम पुत्र रामकरण का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जायज वारिसान है जिनका उपरोक्त भूमि में 60 हि० 60 हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 8 जो कि वादी की बहिन है ने अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 377/351 के खसरा नं. 682 की कुल तादादी 4.0471 है० की 1/9 हिस्सा भूमि में से 9/11 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 60 हि० 60 काबिज है एवं 2/11 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 60 हि० 60 काबिज है तथा रोही मौजा 6 आरएमजी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 86/85 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2020 है० भूमि की

1/9 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 6, 7, 9, 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकंबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक बाधो देवी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 65/65 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 6.1990 है0 भूमि में से 15509/61990 हिस्सा भूमि में मृतका बाधो देवी पत्नी भगवानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कममजन किया जाकर वादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1 का नाम मुताबिक जमाबन्दी शीर्षक रामकैलाश की जगह मनीष कुमार के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 346/2024

अनवान : -

1. मनीष कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. रोशनी पत्नी इन्द्रजीत जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
3. कमला पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. किताबो देवी पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. उर्मिला पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रियंका पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. ममता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. रिना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. गणेशाराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मनोहरी पुत्री इन्द्रजीत उर्फ जीतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
8. दर्शना देवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
9. गुड्डी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
10. बन्तो देवी पुत्री भगवानानाम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 214 सन 2024 निर्णय दिनांक - 24/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 65/65 के कुल खसरे 39 की कुल तादादी 6.1990 है 0 भूमि में से 15509/61990 हिस्सा भूमि में मृतका बाधो देवी पत्नी भगवानाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कममजन किया जाकर वादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1 का नाम मुताबिक जमाबंदी शीर्षक रामकैलाश की जगह मनीष कुमार के अंकन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर